भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं. 75**

<u>दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

रबड़ उद्योग की क्षमता

*75. श्री एच॰ वसंतकुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा रबड़ उत्पादों के मुक्त आयात, उच्च ब्याज लागत जिसके कारण उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण की ओर धीमी गति से बदलाव, मूल्य संवर्धन की निम्न दर इत्यादि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन मुद्दों का समाधन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"रबड़ उद्योग की क्षमता" विषय पर लोक सभा में दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 75 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): आयातकों द्वारा वस्तुओं का आयात वस्तुओं से संबंधित लागू आयात नीति के अनुसार किया जाता है। वस्तुओं का आयात मुक्त, प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो सकता है। रबड़ चढ़ा टायर/उपयोग किए गए टायरों (एचएस 4012) के अलावा रबड़ उत्पादों का आयात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त है। 'मुक्त' आयात से तात्पर्य है कि वस्तु का आयात बिना किसी प्रतिबंध के परन्तु अन्य घरेलू कानूनों, नियमों, विनियमों का अनुपालन करते हुए प्रयोज्य आयात शुल्क की अदायगी करके किया जा सकता है। रबड़ उत्पादों के आयात का मूल्य 2010-11 में 5,074 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 में 9,378 करोड़ रूपये हो गया। रबड़ उत्पादों के निर्यात का मूल्य 2010-11 में 8,447 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 में 20,916 करोड़ रूपये हो गया। रबड़ उत्पादों में व्यापार अधिशेष वर्ष 2010-11 में 3,373 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 11,538 करोड़ रूपए हो गया । भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान एसोशिएसन (आईआरएमआरए) और रबड़ बोर्ड उत्पाद विकास अनुसंधान करता है और रबड़ उत्पाद उद्योग के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी परामर्श और परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय रबड़ नीति पहले ही जारी हो चुकी है जो अन्य बातों के साथ-साथ, रबड़ उत्पाद विनिर्माण और निर्यातों के विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, रबड़ उत्पादों के आयात के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए है: -

(i) बजट एक्सरसाइज 2018-19 में रबड़ टायरों के आयात की जांच की गयी और तदनुसार प्रशुल्क मद 40112010 के तहत आने वाले ट्रक एवं बस रेडियल टायरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई।

(ii) 27 सितंबर,2018 से प्रशुल्क मद 40111010 के तहत आने वाले मोटर कार रेडियल टायरों पर बीसीडी दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई ।

(iii) एक्रोलोनटराईल ब्युटाडीन, स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ (एसबीआर) और कुछ देशों से आयातित या उद्भावित नए/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायरों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।

*****